

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)**

अपील संख्या	रजि०न०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/41/2025	2025/183	16.09.2025	10.02.2026

1. भीमसिंह,
2. रामनिवास,
3. पिन्दू उर्फ अशोक,
4. लोकेश पुत्रान परसादीलाल जाति मीना निवासी ग्राम उकेरी तहसील रैणी जिला अलवर (राजस्थान)।

—अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार रैणी, जिला अलवर (राज०)।

— रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रैणी  
दिनांक 19.08.2025 प्रकरण संख्या  
34/2025

उपस्थित:-

01. श्री ओमानन्द चौधरी
02. राजकीय अभिभाषक

—वकील अपीलाण्ट  
—वकील रेस्पोडेण्ट

**—:: निर्णय ::—**

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 19.08.2025 प्रकरण संख्या 35/2025 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों/कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी जिला अलवर (राज०) दिनांक 19-08-2025 पत्रावली संख्या 35/2025 होने से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि पटवारी हल्का भूडा तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान ने तहत न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी जिला अलवर (राज०) में एक रिपोर्ट अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की, कि भीमसिंह, रामनिवास, पिन्दू, लोकेश पुत्रान प्रसादीलाल मीना जाति मीना निवासी उकेरी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान द्वारा ग्राम उकेरी की आराजी खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.20 हैक्टर पर कब्जा कास्तकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया हैं। जिस पर तहत न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी जिला अलवर (राज०) में पत्रावली संख्या 35/2025 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया, तथा अपीलान्ट को नोटिस धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 जारी किया गया। तथा तहत न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी जिला अलवर (राज०) द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ आलोच्य निर्णय दिनांक 19-08-2025 से निस्तारण किया जाकर अपीलाण्ट को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने तथा साथ ही धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये, तीन माह के सिविल कारावास एवं अर्थदण्ड 50/- रुपये से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधि विरुद्ध व बेजा तरीक पर पारित किए गए हैं। कि जिस निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)

तहत अदालत न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी जिला अलवर (राज०) से असन्तुष्ट होने के कारण यह प्रथम अपील अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं, जो कि निम्न आधार पर स्वीकार होने योग्य हैं:-

आराजी खसरा नम्बर हाल 1250 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, 882 रकबा 0.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम उकेरी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी में मिन अपीलान्ट व अन्य अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार हैं, तथा वर्तमान में उक्त आराजीयात पर काबिज हैं, तथा मिन अपीलान्ट व अन्य के नाम उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन हो रहा हैं। मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी की पूर्व में पैमाईश दिनांक 21-05-2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय, रैणी जिला अलवर राजस्थान के माध्यम से कराई गई हैं, जिसमें मिन अपीलान्ट द्वारा आपत्ति भी की गई थी, लेकिन मिन अपीलान्ट की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए, पैमाईश की गयी हैं, जिससे मिन अपीलान्ट संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि शिकायतकर्ता विवादित आराजी खसरा नंबर हाल 1252 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैरमुमकिन रास्ता हैं, जिसे मिल्लत कर हमारी खातेदारी की आराजी में दर्शित कराना चाहते हैं। इसलिए मिन अपीलान्ट ने पुनः उक्त आराजीयात की पुरानी मसाबी के अनुसार भू-प्रबन्ध विभाग से पैमाईश कराने के लिए श्रीमान जिला कलैक्टर अलवर राजस्थान के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया गया। जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, उपखण्ड रैणी जिला अलवर राजस्थान द्वारा श्रीमान तहसीलदार भू०अ० रैणी जिला अलवर राजस्थान को पत्र क्रमांक भू०अ०/2025/1893 दिनांक 13-06-2025 को प्रेषित किया गया। लेकिन श्रीमान तहसीलदार भू०अ० रैणी जिला अलवर राजस्थान ने वास्तविकता के विपरित तथ्य दर्ज करते हुए, उक्त पत्र का जवाब देकर मिन अपीलान्ट के खिलाफ द्वेषवश धारा 91 व धारा 91 (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही कर आलोच्य निर्णय पारित किया गया हैं। अन्यथा मिन अपीलान्ट ने आलोच्य निर्णय में वर्णित आराजी खसरा नम्बर हाल 1252 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैरमुमकिन रास्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं, मिन अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी की आराजी में कच्चा पक्का निर्माण किया हुआ हैं, तथा रास्ते से हटकर मेरी खातेदारी की आराजी में जबरन रास्ता निकाला जा रहा हैं, जबकि पूर्व में रास्ता आराजी खसरा नम्बर हाल 1252 में से जा रहा हैं, जिस पर सरपंच आदि ने अतिक्रमण किया हुआ हैं। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं।

उक्त विवादित आराजी गैरमुमकिन रास्ता से लगते हुए, आराजी खसरा नम्बर हाल 1270, 1271, 1272 वाके ग्राम उकेरी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान सरकारी भूमि किस्म चाही हैं, जिस आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कब्जा कर वर्तमान सरपंच छीतरमल, रामनिवास उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस व मूलचन्द सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अपने मकानात बनाये हुए हैं। उक्त व्यक्तियों के अतिक्रमण को पूर्व में ध्वस्त किया गया था, लेकिन उक्त लोग पद, प्रतिष्ठा, जनबल, धनबल वाले प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने दुबारा अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया हैं। लेकिन मिन अपीलान्ट जो कि अपनी स्वयं की खातेदारी की आराजी पर काबिज हैं, उसके खिलाफ उक्त लोगो ने ग्रामवासियान से साज बाज होकर अतिक्रमण करने की झूठी शिकायत तहत अदालत में पेश करायी गयी हैं। तथा तहत अदालत ने उक्त लोगो के प्रभाव में आकर उनसे साजबाज होकर आलोच्य निर्णय मिन अपीलान्ट के खिलाफ पारित किया हैं। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये, मिन अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की हैं। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए मिन अपीलान्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर आलोच्य निर्णय पारित किया हैं। जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय हैं।

तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय मौके, कब्जे एवम राजस्व रिकार्ड के खिलाफ विधि विरुद्ध पारित किया हैं। उक्त विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट का कोई नाजायज कब्जा नहीं हैं, पटवारी हल्का द्वारा कोई पैमायश नहीं की गई हैं, कार्यालय में

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)

बैठकर रिपोर्ट तैयार की गई हैं। ना ही तहत अदालत द्वारा कोई पैमायश करायी गई, ना ही कोई मौका निरीक्षण किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्त होने योग्य हैं। तहत अदालत से जारी नोटिस की तामील होने के उपरांत मिन अपीलान्ट ने तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस व साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया था। लेकिन तहत अदालत ने जानबूझकर मिन अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए, मिन अपीलान्ट को दस्तावेजी सबूत वो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। और विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये, आलोच्य निर्णय पारित किया हैं। जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट ने कोई नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा नहीं किया हैं। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये, व बिना पैमायश किये, तहत अदालत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। मिन अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं हैं, और ना पूर्व में अतिक्रमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर हैं। मौके पर टीम द्वारा जो हमारे मकानात की बाउण्ड्री वाल की तोड फोड की गई हैं, वह मौके की यथास्थिति बनी हुई हैं, जब मौके की यथास्थिति बनी हुई हैं, तो बाजरा की फसल बोने की संभावना कैसे हो सकती हैं। तहत अदालत ने बिना मौका निरीक्षण किये, पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर आलोच्य निर्णय पारित किया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

तहसीलदार ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भी गलती की हैं, क्योंकि पूर्व में अपीलान्ट को ना तो बेदखल किया गया हैं, ना ही इस बाबत पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य थी। जैसे पूर्व में बेदखल करने के निर्णय की सत्य प्रतिलिपि आदि। लेकिन तहसीलदार साहब ने मात्र पटवारी हल्का के बयान पर बिना निर्णय की प्रतिलिपि पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए, तीन माह के सिविल कारावास व अर्थदण्ड 50 रूपये की सजा से दण्डित किया हैं। जो निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। माननीय राजस्व मण्डल की अनेक नजीरे इस बाबत हैं, कि जब तक पत्रावली पर पहले बेदखल करने के आदेश/निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ना हो, तब तक उसको पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। वर्तमान प्रकरण में भी अपीलान्ट को पूर्व में बेदखल करने के निर्णय व आदेश से संबंधित सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार साहब के समक्ष पेश नहीं की गई हैं। तहत अदालत का निर्णय गैरकानूनी व विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं, निरस्त फरमाए जावें।

तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित किया हैं। जिससे निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रैणी जिला अलवर (राज०) दिनांक 19-08-2025 पत्रावली संख्या 35/2025 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त फरमाया जावें, तथा अपीलान्ट को नोटिस अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, के भार से मुक्त फरमाया जावें।

वकील रेस्पोजेन्ट राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम उकेरी की किस्म सिवायचक गै.मु. रास्ता की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। प्रश्नगत आराजी खसरा नंबर 1252 रकाब 0.20 हैक्टैयर किस्म गै.मु.रास्ता भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि है जिस पर अप्रार्थी/अतिचारी को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। पटवारी के अनुसार अप्रार्थी ने पूर्व से रास्ते की भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा था जिसे पूर्व में बेदखल कर अतिक्रमण नहीं करने को पाबन्द किया गया था, के बावजूद अतिचारी ने गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)

किया जिससे अतिचारी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.20 हैक्ट० किस्म सिवायचक गै.मु. रास्ता के भाग 0.05 हैक्ट० भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा पेनल्टी अधिरोपित की गई, जो विधि के अनुरूप है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नं. 1252 'गैर मुमकिन रास्ता' है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि (जैसे रास्ता) पर किसी भी व्यक्ति को, खातेदारी अधिकार या कब्जे का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण करना जनहित के विरुद्ध है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 से स्पष्ट है कि मौके पर अतिक्रमण मौजूद था। अपीलार्थी का यह तर्क कि पैमाइश गलत थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि उन्हें सीमाज्ञान पर आपत्ति थी, तो उन्हें सक्षम न्यायालय में सीमाज्ञान हेतु अलग से आवेदन करना चाहिए था, न कि कानून हाथ में लेकर सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करना चाहिए था। राजकीय अभिभाषक का यह तर्क कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में बेदखल किए जाने के बावजूद पुनः अतिक्रमण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की परिस्थितियों और पटवारी के बयान के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है, वह विधि सम्मत है। मात्र पूर्व आदेश की प्रतिलिपि का तकनीकी आधार लेकर बार-बार किए जाने वाले अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का यह तर्क कि "अन्य लोगों (सरपंच, पुलिस अधिकारी) ने भी अतिक्रमण किया है, इसलिए मुझ पर कार्यवाही गलत है," विधिक रूप से ग्राह्य नहीं है।

वर्तमान जमाबंदी में भी आराजी खसरा न० 1252 रकबा 0.20 है० की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमी/अपीलांट द्वारा रकबा 0.05 है० पर जोत लगाकर, बाजरा बोकर, सार्वजनिक रास्ते को खुर्द-बुर्द कर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार गै०मु० रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। यह पूरी तरह विधि-सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 35/2025 में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 19.08.2025 पारित किया गया है, जो उचित है। अतः विद्वान तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2025, जिसमें अपीलार्थी को सार्वजनिक रास्ते की भूमि से बेदखल करने और पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है, तथ्यात्मक और विधिक रूप से सही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और उभय पक्षों की बहस पर विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार रैणी) द्वारा पारित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी द्वारा प्रकरण संख्या 35/2025 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(योगेश कुमार डागुर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)